

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 16/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/74

वादी
बाबुलाल पुत्र पीराराम
जाति जाट निवासी जोगारसर
तहसील बायतु व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1. गणपत पुत्र ओमप्रकाश
2. घनश्याम पुत्र ओमप्रकाश जाति खारवाल
निवासी पचपदरा व तहसील पचपदरा
3. ठाकराराम पुत्र पनाराम जाति जाट
निवासी बागड़वो की ढाणी, बायतु
तहसील बायतु व जिला बालोतरा
4. भीखी पुत्री जोगाराम जाति खारवाल
निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. श्री जेदूलाल कुमावत अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 22/5/2025



संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 741 क्षेत्रफल 1.4290 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 15.4.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

0


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 741 क्षेत्रफल 1.4290 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बचिन्ह
1	ठाकराराम पुत्र पनाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी बागड़वों की ढाणी बायतु खातेदार	मंडापुरा	741	0.5716	बा.अव्वल	A
2	बाबुलाल पुत्र पीराराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट निवासी जोगासर तहसील बायतु खातेदार	मंडापुरा	741	0.3811	बा.अव्वल	B
3	भीखी पुत्री जोगाराम हिस्सा पूर्ण जाति खारवाल सा. पचपदरा खातेदार	मंडापुरा	741	0.2858	बा.अव्वल	C
4	गणपत पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 1/2 जाति खारवाल निवासी पचपदरा घनश्याम पुत्र ओमप्रकाश हिस्सा 1/2 जाति खारवाल निवासी पचपदरा खातेदार	मंडापुरा	741	0.2858	बा.अव्वल	D

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण


भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।



(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 22/5/25 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।





सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 16/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/74

वादी
बाबुलाल पुत्र पीराराम
जाति जाट निवासी जोगारसर
तहसील बायतु व जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादी

1. गणपत पुत्र ओमप्रकाश
2. घनश्याम पुत्र ओमप्रकाश जाति खारवाल
निवासी पचपदरा व तहसील पचपदरा
3. ठाकराराम पुत्र पनाराम जाति जाट
निवासी बागड़वो की ढाणी, बायतु
तहसील बायतु व जिला बालोतरा
4. भीखी पुत्री जोगाराम जाति खारवाल
निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 16/2025

निर्णय दिनांक :- 22.5.2025

वादी की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 22.05.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 22.05.2025 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस	-----	6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	-----	जोड़	-----




 सहायक कलेक्टर
 (एस.डी.ओ.) बालोतरा